



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जौगही बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है । सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को पकड़ लिया गया । पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम जौरही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 30/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 श्री दुर्विजय सिंह
3. कां0 अंकेश कुमार
4. कां0 उपेन्द्र कुमार

